



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15841 वर्ष 2025

पिटू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दिनेश कुमार पांडे, मनु शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनु शर्मा और श्री दिनेश कुमार पांडे तथा राज्य के विद्वान एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी की दलीलें सुनी गईं।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 174/2024, धारा 103(1) और 238(बी) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन परसमलिक, जिला महाराजगंज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है, लेकिन वर्तमान मामले में आवेदक 14.08.2024 से यानी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।

4. उनका यह भी कहना है कि आवेदक मृतक का पति है, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

5. उन्होंने आगे कहा कि अब तक 15 गवाहों में से केवल तीन गवाहों की ही जांच हो सकी है, इसलिए मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।

6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और आवेदक की पहली जमानत याचिका इस तथ्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी कि आवेदक मृतक का पति है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सका कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और वर्तमान मामले में आवेदक पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है और आज तक 15 गवाहों में से केवल तीन की ही जांच की जा सकी है। विद्वान एजीए इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सके कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रहा है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

9. हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है और आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई थी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक मृतक का पति है और उसके खिलाफ अंतिम बार देखे जाने का सबूत है लेकिन यह दर्शाता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक नवंबर 2024 से यानी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में है और संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि आज तक 15 गवाहों में से केवल तीन गवाहों की ही जांच की जा सकी है, इसलिए मुकदमे के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, संबंधित न्यायालय की रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि आवेदक विलंबकारी रणनीति अपना रहा है।

10. इसके अलावा, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक अपनी पत्नी (अर्थात मृतक) को उसके मायके से ले गया था और उसके बाद उसका शव मिला। लेकिन ट्रायल न्यायालय के समक्ष दर्ज सूचनाकर्ता के बयान से पता चलता है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मृतक को अपने घर लौट आना चाहिए था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के वापस न लौटने के बावजूद सूचनाकर्ता ने कोई रिपोर्ट/लापता रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और उसने वर्तमान मामले की एफआईआर चार दिन बाद दर्ज कराई।

11. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

12. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. आवेदक - पिंटू को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, ब्याज राशि के एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27 जनवरी 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।